वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान में संशोधन किया जाना

3556. **श्री नागमिणः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वरिष्ठ लिपिक के वेतनमान में संशोधन करने से संवंधित लम्बे समय से लंबित इस मामले को निपटाने में विलम्ब के क्या कारण हैं।

(ख) क्या पांचवे वेतन आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने को देखते हुए विवाधन बोर्ड से अपना निर्णय शीघ्र देने के लिए कहा गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस आर. बालासुब्रहमण्यन): (क) से (ग) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को विभागीय परिषद में कर्मचारी पक्ष द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी लिपिकों के वेतनमान को 1200-2040 रुपये से बढाकर 1400-2600 रुपये करने संबंधी उठाई गई मांग को, इस मामले में असहमति रिकॉर्ड करने के परिणामस्वरुप मई. 1992 में विवाचन बोर्ड को भेज दिया गया। बोर्ड ने विभिन्न तारीखों को इस मामले की सुनवाई की। इस मामले पर आगे सुनवाई 24.7.1996 को की जानी थी। तथापि, कर्मचारी पक्ष के सदस्य के कहने पर सुनवाई की नयी तारीख अभी नियत तथा संसूचित की जानी है। संयुक्त परामर्श तंत्र (जे. सी. एम.) योजना विवाचन वोर्ड द्वारा मामलों के निपटान के लिए कोई समय सीमा निर्धरित नहीं करती। सरकार द्वारा मामले में और आगे कार्यवाही बोर्ड का निर्णय प्राप्त होने पर ही की जा सकती है।

सी. बी. आई. द्वारा पंजाब पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना।

3557. **श्री रामगोपाल यादवः**
श्री ईश दत्त यादवः

क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 अप्रैल, 1997 के राष्ट्रीय सहारा में सी. बी. आई. ने पंजाब के अतिरिक्त महानिदेशक का कारनामा उजागर किया, शीर्पक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है।

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या सरकार उक्त महानिदेशक को सेवा में बनाए रखेगी तथा यदि नहीं, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. आर. बालसुब्रहमण्यन): (क) से (ग) जी, हां। पंजाब सरकार के अनूरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो ने यह मामला दर्ज किया तथा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशिक्षण), पंजाब तथा अन्य के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्युरो द्वारा एक चार्ज शीय दाखिल की गई है और मामला न्यायलय में विचरार्धान है। चूंकि अधिकारी पंजाब सरकार से सम्बद्ध मामलों के संबंध में सेवागत है, अतः राज्य सरकार ही मामले में कार्रवाई करने के लिए सक्षण प्राधिकारी है।

Counting of Service for Pension

3558. SHRI SURENDRA KUMAR SINGH:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether counting of service for pension is allowed on mobility of person nel between a Central Government De partment and a Central autonomous/ statutory body and from one Central autonomous/statutory body to another such body;

(b) whether any instructions have been issued in the recent past that the Reserve Bank of India, State Bank of India and its subsidiaries, the nationalised banks, the Life Insurance Corporaiton of India, etc. are not to be treated as Central autonomous/statutory bodies for the purpose; and

(c) if so, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.R. BALASUB-RAMONIYAN): (a) and (b) Yes, Sir.